संख्या - 1 /2022/ 76 /001-21-9002-001-1-2021-1-9

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ०प्र० उर्दू अकादमी,
विभूति खण्ड,गोमती नगर,
लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1 लखनऊःदिनांक 13 अप्रैल ,2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों,मानदेय इत्यादि हेतु प्राविधानित अनुदान के सापेक्ष प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई ,2022 तक) हेतु स्वीकृत लेखानुदान के अंतर्गत प्रथम किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वीकृत लेखानुदान के अंतर्गत श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन,भत्ते व मानदेय इत्यादि के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रावधानित अनुदान रू० 471.52 लाख (रूपये चार करोड इकहत्तर लाख बावन हजार मात्र) सापेक्ष प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई ,2022 तक) के लिए रू० 117.88 लाख (रूपए एक करोड़ सत्रह लाख अट्ठासी हज़ार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल वेतन, भत्तों व मानदेय इत्यादि पर किया जायेगा और इसके अतिरिक्त किसी भी नयी मदों ,सेवाओं तथा योजनाओं पर व्यय न किया जाये तथा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 30 अगस्त ,2022 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित नहीं की जायेगी बल्कि आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक कोषागार से आहरित की जाये और नियमानुसार ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से व्यय की जायेगी तथा बिल आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग,उ०प्र० शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए में दिये गये है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सॅख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021 दिनांक 30 दिसम्बर ,2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त स्थायी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा बजट मैनुअल का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि मे होने वाले व्यय रू० 117.88 लाख (रूपए एक करोड़ सत्रह लाख अट्ठासी हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक अनुदान सॅख्या-039 लेखा शीर्षक-2202051020400 उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को अनुदान मानक मद -31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021 दिनांक 30 दिसम्बर ,2021 में मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है|

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वित्तीय,उ०प्र० प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वित्तीय,उ०प्र० प्रयागराज।

3 -निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उ०प्र० प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० उर्दू अकादमी के लेखों का सम्परीक्षण प्रतिवेदन शासन को यथासमय भेजने का कष्ट करें।

कोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट ,लखनऊ।

4- आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग,उ०प्र० शासन।

5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,उ०प्र० हिन्दी संस्थान,लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1

7 -भाषा उर्दू अनुभाग-4

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(हरि बख्शसिंह)
उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in